40-

HARYANA GOVERNMENT

WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES EPARTMENT

NOTIFICATION

The 17th August, 2016

No808-SW(1) - In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (15 of 2016), the Governor of Haryana hereby specify the following criteria for exclusion of creamy layer within the Backward Classes as per the Schedules appended to the Act, namely Schedule I, II & III :-

The children of persons having gross annual income of upto Three Lakh rupees shall first of all get the benefit of reservation in services and admission in educational institutions. The left out quota shall go to that class of Backward Classes of citizens who earn more than Three Lakh rupees but upto Six Lakh rupees per annum. The sections of the Backward Classes earning above Six Lakh rupees per annum shall be considered as Creamy Layer under section 5 of the said Act.

T.C. Gupta
Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

Endst. No. 808-SW(1) Dated: 17-08-2016

A copy is forwarded to Controller, Printing and Stationery Department for publishing the said notification in the Haryana Government Extraordinary Gazette. He is requested to send 250 spare copies of the notification to the Government.

Superintendent
for Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

Endst. No. 808-SW(1) Dated: 17-08-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Chief Secretary to Government Haryana.
2. All the Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries to Government, Haryana.
3. All Heads of Departments in the State of Haryana.
4. All the CAs/MDs of all Boards/Corporations/Public undertakings in the State of Haryana.
5. The Commissioners Ambala, Gurgaon, Hisar and Rohtak Division
6. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
7. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
8. All SDOs (C) in the State of Haryana.
9. The Registrars of all the Universities in the State of Haryana.

Superintendent
for Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department.

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक: 17 अगस्त, 2016

सं0 8०8-स.क.(1) हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (2016 का 15), की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों I. II तथा III के अनुसार पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग को निकालने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात:--

तीन लाख रूपये तक की सकल वार्षिक आय रखने वाले व्यक्तियों के बालक प्रथमत: सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण का लाभ प्राप्त करेंगे। रह गया कोटा नागरिकों के पिछड़े वर्गों के उस वर्ग को दिया जायेगा जो प्रति वर्ष तीन लाख रूपये से अधिक किन्तु छह लाख रूपये तक कमाते हैं। प्रति वर्ष छह लाख रूपये से अधिक कमाने वाले पिछड़े वर्गों के वर्ग उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन नवोन्नत वर्ग के रूप में विचारे जायेंगे।

टी0सी0 गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियॉ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ0 कमांक: 8०8-स.क.(1) दिनांक: 17-08-2016

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को यह अधिसूचना हरियाणा सरकार के राज पत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजी जाती है। उनसे अनुरोध है कि इसकी 250 प्रतियां इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियॉ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ0 कमांक: 8०8-स.क.(1) दिनांक: 17-08-2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
3. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में।
4. मुख्य प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, सभी सार्वजनिक उपकम/स्वायतशासी संस्थाए, हरियाणा राज्य में।
5. मण्डल आयुक्त, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक ।
6. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
7. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
8. सभी उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा राज्य में।
9. रजिस्ट्रार, सभी विश्वद्यिालय, हरियाणा राज्य में।

अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियॉ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,